सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

357वाँ प्रतिवेदन

(उद्योग विभाग)

(दिनांक 23.07.26 ई0 को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	प्राक्कथन	क
2.	राजकीय आश्वासन समिति के मा० सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	ख
3.	आश्वासनों की सूची	ग
4.	प्रतिवेदन	1-15
5.	परिशिष्ट	16-33

प्राक्कथन

मैं, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत उद्योग विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 17 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 357वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधानमंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन-प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

दामोदर रावत,

सभापति,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2024–25 के माननीय सदस्यों की सूची --

सभापति

1.	श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
2.	श्री राम विशुन सिंह	स०वि०स०
3.	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	स०वि०स०
4.	श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
5.	श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
6.	श्री गोपाल रविदास	स०वि०स०
7.	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव	स०वि०स०
8.	श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
9.	श्री विशाल प्रशांत	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची--

1.	श्रीमती ख्याति सिंह	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	निदेशक
3.	श्री राम कुमार यादव	अवर-सचिव
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्री राजीव रंजन-III	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7.	श्रीमती सुषमा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8.	श्री रामबाबू सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
9.	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
10.	श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर
11.	श्री अमित कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में उद्योग विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची--

क्रम सं०	आश्वासन सं०
1	130/08
2	198/08
3	931/10
4	814/11
5	948/12
6	1402/16
7	558/21
8	569/21
9	10/22
10	371/22
11	390/22
12	400/22
13	405/22
14	1662/22
15	2310/22
16	2729/22
17	2771/22

प्रतिवेदन

उद्योग विभाग

आश्वासन संख्या 130/08

प्रसंग एवं विषय

प्रश्नकर्ता —सर्वश्री भोला सिंह, प्रमोद कुमार एवं अन्य पन्द्रह सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर दिनांक 13 मार्च, 2008 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

सरकारी आश्वासन

श्री भोला सिंह--मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि जमीन अर्जित की जानी थी उसका आधार निबंधन कार्यालय में जो जमीन निबंधित की गयी थी वह नहीं थी, न बाजार रेट था, न जमीन रजिस्ट्री हुयी निबंधन कार्यालय से, उस जमीन में तत्कालीन सरकार ने उस मामले में मनमाने ढंग से किसानों को बाध्य किया और मनमाने रेट पर किसानों ने प्रतिरोध किया, वे गये हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार एपीयर नहीं हो रही है, क्या यह बात सही है ?

श्री गौतम सिंह (राज्य मंत्री)--महोदय, अगर किसानों के द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त के यहां उनके कोर्ट में अपील की गयी तो मैं और औद्योगिक विकास आयुक्त और माननीय सदस्य को भी अपने साथ रखकर उस मामले को दिखवा लूँगा और उसका उचित हल निकालूँगा।

(ज्ञाप संख्या 130-वि०स०, पटना, दिनांक 19 जून, 2008 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 130, दिनांक 19 जून, 2008 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 5312, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 198/08

प्रसंग एवं विषय

श्री श्रीभगवान सिंह एवं अन्य, स०वि०स० के ध्यानाकर्षण सूचना पर दिनांक 25 मार्च, 2008 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

सरकारी आश्वासन

श्री भगवान सिंह--हम बार-बार कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हम एक ही बात कहना चाहते है कि 181 एकड़ 48 डिसमील जमीन का कहीं भी पैसा जमा नहीं हुआ है और जब इस तरह का मामला है तो आप किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच करा लीजिये और दो बातों की जाँच होनी चाहिये। एक क्या

वह जमीन सिंचित जमीन है कि नहीं और यदि जमीन ले ली जायेगी तो उस चार गाँव के किसान भूमिहीन हो जायेंगे। इसलिये मैं कहता हूँ कि नंदीग्राम मत बनाइये। उस चार गाँव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है और उसके लिये कहीं भी पैसा जमा नहीं किया गया है, सिलिंग की जमीन जो ली गयी है वह अलग जमीन है। इसलिये मैं कह रहा हूँ कि आप इसकी जाँच करा लिजिये।

अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी आपके जवाब को उन्होंने चुनौती दी है, आप उसे गंभीरता से देखवा लीजिये कि क्या किसानों के हित में किया जा सकता है। क्या संभव है या राज्यहित में क्या संभव है उस दिशा में देखवा लीजिये।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 931, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 2491, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 931/10

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या (ऐ-1), दिनांक 21 जुलाई, 2010 को सदन पटल से चतुर्दश बिहार विधान-सभा के एकादश सत्र के (मुद्रित पुस्तिका से)।

प्रश्नकर्ता--श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, स०वि०स०।

विषय--किशनगंज जिला में चाय उद्योग हेतु लाभकारी योजना लागू करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--चाय उद्योग की सुविधा देने हेतु योजना पर सरकार विचार कर रही है।

(ज्ञाप संख्या 931-वि०स०, पटना, दिनांक 10 सितंबर, 2010)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 931, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 2491, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 814/11

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1900 (ऐ-8), दिनांक 26 मार्च, 2010 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स०।

विषय--समस्तीपुर जिला के सभी खादी ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--जहां तक ग्रामोउद्योग के तहत आनेवाली इकाई को पुनर्जिवित करने का प्रश्न है, ऐसी कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, परन्तु जो उद्यमी ग्रामोद्योग को सरकारी योजनाओं के प्रावधान के आलोक में (यथा बैंकों तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत) वित्त पोषण कराकर उद्यमियों को उद्योग की स्थापना में सहयोग देने के लिये सरकार कटिबद्ध है।

(ज्ञाप सं० 814-वि०स०, पटना, दिनांक 31 मई, 2011 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 814, दिनांक 31 मई, 2011 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 5317, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 948/12

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2560 (ऐ-24), दिनांक 26 मार्च, 2012 की (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता--श्री उमाकांत यादव, स०वि०स०।

विषय-- मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड स्थित बाजार में खादी भंडार भवन के परिसर का चहारदीवारी का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्रीमती रेणु कुमारी (मंत्री)--महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो यह स्वायत संस्था है, फिर

भी सरकार 2012-13 में एक योजना बना रही है खादी बोर्ड के माध्यम से जैसाकि मैंने आपको कहा कि मधुबनी जिला खादी ग्रामोद्योग संगठन अंतर्गत है और जिन 84 संस्था को सरकार खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से डेभलप करना चाह रही है, उसमें यह भी है तो 2012-13 में इसके इनफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 948-वि०स०, पटना, दिनांक 17 जुलाई, 2012 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 948, दिनांक 17 जुलाई, 2012 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 5316, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1402/16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1(ऐ-1), दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता--श्री मुन्द्रिका सिंह यादव, स०वि०स०।

विषय--जहानाबाद जिला मुख्यालय के निजामुद्दीन में बंद पड़े चमड़ों का कारखाना को चालू करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री जय कुमार सिंह, (मंत्री)--कारखाने के भवन एवं जमीन लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा के बिन्दु पर जाँच हेतु जिलाधिकारी, जहानाबाद के विभागीय पत्र 6267, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 से अनुरोध किया गया है।

जिला पदाधिकारी जहानाबाद से प्रश्नगत कारखाने का भवन एवं जमीन का लोगों के अवैध कब्जा के बिन्दु पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 5278-5281, वि०स०, पटना, दिनांक 27 फरवरी, 2017 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 5278-5281, दिनांक 27 फरवरी, 2017 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 1429, दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 558/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1253 (ऐ-8), दिनांक 08 मार्च, 2021 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०।

प्रश्न-- (1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखण्ड अन्तर्गत जॉकी गांव में उद्योग विभाग की 22 एकड़ जमीन में रेशम उद्योग का कार्य पूर्व में संचालित हो रहा था ;

(2) वर्तमान में उद्योग बंद होने के कारण उक्त भूमि पूरी तरह खाली पड़ी हुयी है तथा वहां के मजदूर बेरोजगार होने से उनकी माली हालत खराब हो गयी है ;

(3) रेशम उद्योग की खाली जमीन पर कोई अन्य उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । इस कार्य में मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत था, जो बरसात के दिनों में जलप्लावित रहने के कारण एवं मलवरी खेती के अनुकूल नहीं रहने के कारण राज्यादेश संख्या 1095, दिनांक 24 मार्च, 2006 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय लोग रेशम उद्योग को छोड़कर कृषि/पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाये हुये हैं। मजदूर के बेरोजगार होने से उनकी माली हालत खराब होने की कोई सूचना विभाग को नहीं है।

(3) इस स्थान पर रेशम उद्योग प्रारंभ करने हेतु 17.29 एकड़ में तसर पौधारोपण किया गया है। तत्पश्चात् पौधा तैयार हो जाने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा तसर कीटपालन कर रेशम उत्पादन प्रारंभ की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 558-वि०स०, पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2021 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 558, दिनांक 23 अगस्त, 2021 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 4234, दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 569/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1294(ऐ-33), दिनांक 08 मार्च, 2021 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स०।

प्रश्न-- (1) क्या यह बात सही है कि कटिहार एवं पूर्णियाँ जिलान्तर्गत एन०जे०एम०सी० की इकाई आर०बी०एच०एम० जूट मिल सहित कांटी, कूट फैक्ट्री तथा दो फ्लॉर मिल वर्ष 2016 से बंद होने के कारण पाँच हजार कामगार बेरोजगार हो गये हैं ?

(2) क्या यह बात सही है कि जूट मिल बंद होने से किसानों की खेती पर सीधा असर पड़ा है जिसके कारण करीब 1200 कामगार अन्य राज्यों में पलायन करने हेतु मजबूर हैं साथ ही उक्त मील की करोड़ों की मशीन एवं अन्य उपकरण खराब हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जूट मिल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। कटिहार जिला स्थित बंद आर०बी०एच०एम० जूट मिल, भारत सरकार का उपक्रम है जो एन०जे०एम०सी० के अधीन है। यह मिल वर्ष 2016 से बंद है। आर०बी०एच०एम० जूट मिल के अतिरिक्त सर्वश्री विश्वनाथ पेपर मिल, गढ़बनैली पूर्णियां, कांटी फैक्ट्री, नेवालाल चौक पूर्णियाँ, सर्वश्री जलोका फ्लावर मिल, कटिहार एवं सर्वश्री यमुना फ्लावर मिल, कालीबाड़ी कटिहार भी बंद है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। कटिहार जिला स्थित बंद आर०बी०एच०एम० जूट मिल, भारत सरकार का उपक्रम है। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007, 2009 एवं 2011 (तीन चरणों में) सभी कामगारों, स्टाफ, दरबान एवं पदाधिकारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

उद्योग विभाग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बंद निजी उद्योगों को कार्यरत करने का प्रावधान नहीं है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासित करने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत रूग्ण इकाई के उद्यमियों द्वारा इकाई को पुनः कार्यरत करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने कर पुनर्वासित करने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

(ज्ञाप संख्या 569-वि०स०, पटना, दिनांक 23 अगस्त, 2021 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 569, दिनांक 23 अगस्त, 2021 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 4450, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 10/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (ऐ-12), दिनांक 28 फरवरी, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०।

प्रश्न--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के जौंकि ग्राम में बंद परे मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की 22 एकड़ भू-खण्ड पर अन्य कृषि आधारित उद्योग की संभावना तलाशने एवं इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी की अध्यक्षता में सहायक उद्योग निदेशक (रे०) मुजफ्फरपुर एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के पदाधिकारी की एक समिति दिनांक 18 मार्च, 2013 को गठित की गयी थी जिसे एक माह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई करनी थी, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर इथेनॉल उत्पादन या अन्य कृषि आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक । केन्द्र में कृषि आधारित उद्योग की संभावना तलाशने एवं क्रियान्वयन हेतु दिनांक 18 मार्च, 2013 द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विभाग को प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराये जाने से संबंधित कारणपृच्छा समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी से की गयी है। एवं प्रतिवेदन उपलबध कराने हेतु स्मार-पत्र भी दिया गया है।

केन्द्र का भू-खंड स्तर नीचा होने के कारण बरसात के दिनों में लंबे अवधि तक जल-जमाव रहने के दिनों में लंबे अवधि तक जल-जमाव रहने के कारण मलवरी/शहतूत की खेती हेतु अनुपयुक्त है।

केन्द्र में रेशम उत्पादन प्रारंभ करने की दिशा में वर्ष 2015-16 में वन विभाग द्वारा केन्द्र के 17.29 एकड़ भू-खंड पर तसर रेशम कीट खाद्य-पौधा आसन/अर्जुन का पौधारोपण किया गया है। इन पौधारोपित भू-खंड पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा केन्द्र परिसर में रेशम कीटपालन किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत समूह के सदस्यों को रेशम उत्पादन में प्रशिक्षित करते हुये आवश्यक कीटपालन उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इस हेतु यथासमय आवश्यक राशि निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

रेशम उत्पादन प्रारंभ किये जाने हेतु समूह का चयन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी को निदेशालय पत्रांक 1298, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है।

(ज्ञाप संख्या 10-वि०स०, पटना, दिनांक 05 अप्रील, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 10, दिनांक 05 अप्रील, 2022 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 2583, दिनांक 16 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 371/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 651(ऐ-16), दिनांक 07 मार्च, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री हरिभूषण ठाकुर, "बचोल" स०वि०स०।

प्रश्न--क्या मंत्री उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में धान, गेहूँ, मखाना, सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है तथा वे अपना फसल औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधुबनी जिला में खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि ईकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति के प्रवधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की गयी है। साथ ही समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ वार्ता कर नये उद्योगों को लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत मधुबनी जिला में प्रारंभ से अबतक खाद्य प्रसस्करंण प्रक्षेत्र में कुल 21 प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस (सैंद्धातिक सहमति) तथा कुल 03 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इनमें से एक औद्योगिक इकाई कार्यरत हो चुकी है।

(ज्ञाप संख्या 371-वि०स०, पटना, दिनांक 06 मई, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 371, दिनांक 06 मई, 2022 के द्वारा उद्योग विभागं को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 2624, दिनांक 20 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन

प्रतिवेदन (परिशिष्ट-X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 390/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 690 (ऐ-25), दिनांक 07 मार्च, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स०।

प्रश्न--(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के काको-जहानाबाद औद्योगिक प्रांगण अवस्थित है, जो विगत 20-25 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त औद्योगिक प्रांगण में कई प्रकार की मशीने लगी हुयी है, जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है और बंद रहने से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े औद्योगिक प्रांगण का जीर्णोद्धार करते हुये नवयुवकों को रोजगार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद कुल छः एकड़ में स्थित है। औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद में 14 इकाइयों को भूमि का आवंटन किया गया है, जिनमें से 05 इकाईयाँ कार्यरत है एवं 05 इकाइयों को उत्पादन कार्य विभिन्न कारणों से बंद रहने के कारण बियाडा द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। 04 इकाइयों को उत्पादन कार्य बंद रखने के कारण नियमानुकूल उनका भू-आवंटन बियाडा द्वारा रद्द किया गया है।

(3) वर्तमान में औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद अन्तर्गत आवंटन योग्य 0.80 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इच्छुक उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बियाडा द्वारा नियमानुसार भू-आवंटन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद में 5000 वर्गफीट भूमि का शेड मुख्यमंत्री कुशल उद्यमी योजनान्तर्गत जिला प्रशासन, जहानाबाद को उपलब्ध कराया गया है। जिला प्रशासन, जहानाबाद द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(ज्ञाप संख्या 390-वि०स०, पटना, दिनांक 06 मई, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 390, दिनांक 06 मई, 2022 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 2657, दिनांक 21 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन

प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 400/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 717 (ऐ-23), दिनांक 07 मार्च, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री प्रणव कुमार, स०वि०स०।

प्रश्न--क्या यह बात सही है कि बिहार में मक्का का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है किन्तु राज्य में कोई उद्योग नहीं होने के कारण यहां के मक्का को दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है तथा किसानों को उचित दाम भी नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार अपने राज्य में कबतक उद्योग लगाकर यहां के किसानों का मक्का खरीद कर उचित दाम दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत मक्का आधारित उद्योग लगाने वाली इकाइयों को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की गयी है। साथ ही राज्य में मक्का की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 लागू है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत राज्य में मक्का आधारित उद्योग लगाने हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से कुल 258 इकाइयों के प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) तथा कुल 28 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इनमें से 16 इकाइयाँ कार्यरत हो चुकी है)

(ज्ञाप संख्या 400-वि०स०, पटना, दिनांक 06 मई, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 400, दिनांक 06 मई, 2022 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 2622, दिनांक 20 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 405/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 730 (ऐ-28), दिनांक 07 मार्च, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स०।

प्रश्न--क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मटिहानी विधान सभा क्षेत्र में उन्नत किस्म की लीची का उत्पादन व्यापक रूप से किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार लीची से संबंधित उत्पादन एवं विपणन की बेहतर संभावना को देखते हुये यहां कबतक एक लीची प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि लीची प्रसंस्करण आधारित इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की गयी है। साथ ही समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ वार्ता कर नये उद्योगों को लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत बेगूसराय जिला में अबतक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु कुल 40 प्रस्तावों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्टेज I क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) तथा कुल 07 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है इनमें से 06 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हो चुकी है।

(ज्ञाप संख्या 405-वि०स०, पटना, दिनांक 06 मई, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 405, दिनांक 6 मई, 2022 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 2623, दिनांक 20 जून, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1662/22

प्रसंग एवं विषय

प्रश्नकर्ता--श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 29 मार्च, 2022 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय--यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में बड़े पैमाने पर रेडीमेड वस्त्र एवं गंजी बनाने के छोटे-छोटे कारखाने के विकास की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार इस उद्योग के विकास के लिये एक टेक्सटाइल नीति बनावें ।

सरकारी आश्वासन

श्री शाहनवाज हुसैन, (मंत्री)--उपाध्यक्ष महोदय। माननीय वरिष्ठ सदस्य नन्दकिशोर यादव जी का कहना सही है कि बहुत पहले सिटी के इलाके में वहीं पर गंजी बनियान सब बनता था और बड़ा कलस्टर हुआ करता था, लेकिन एक दौर बिहार में आया था जब वह सब चीज बंद करके लोग वहां से चले गये। अब बड़ी तायदाद में लोग आ रहे हैं और यहां बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जो कोरोना काल में वर्कर आये थे उसमें 56 परसेंट देश में जो टेक्सटाइल के वर्कर हैं वे बिहार से आते हैं और टेक्सटाइल में अपार संभावनाएं हैं रोजगार की। इसलिये हमने इनको पॉजिटिव जवाब दिया है कि नयी टेक्सटाइल पॉलिसी करीब-करीब बन गयी है, जल्द ही उसको कैबिनेट में लाने का प्रयास करेंगे।

(ज्ञाप संख्या 1662-वि०स०, पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1662, दिनांक 20 जुलाई, 2022 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 3483, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 2310/22

प्रसंग एवं विषय

प्रश्नकर्ता--श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 30 जून, 2022 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय--यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखंड में बंद चीनी मिल की जमीन पर उद्योग लगावे ।

सरकारी आश्वासन

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, (मंत्री)--महोदय, पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखंड में बंद चीनी मिल पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से चहारदीवारी, गेट, गार्ड रूम निर्माण के लिये हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका टेंडर हो गया है, प्रशासनिक स्वीकृति हो रही है, 5 करोड़ 50 लाख 60 हजार की लागत से उसकी बाउंड्री करने जा रहे हैं और इसका निष्पादन जल्द होने जा रहा है तथा वहां बहुत सारे उद्योग भी लगने जा रहे हैं।

(ज्ञाप संख्या 2310-वि०स०, पटना, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2310, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 1488, दिनांक 13 मार्च, 2024 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 2729/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 463 (ऐ-01), दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को (कार्यवाही से)।

प्रश्नकर्ता--श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०।

विषय--(1) भागलपुर जिलान्तर्गत बरारी में स्थित बिहार इंडस्ट्रीयल एण्ड डेवलपमेंट एरिया 51 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित है जहां प्रदेश स्तर की 56 इकाईयाँ चल रही है ;

(2) पूरे बियाडा क्षेत्र में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं रहने के कारण शाम होते ही चोरी की संभावना बढ़ जाती है ;

(3) तो बियाडा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था करने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री समीर कुमार महासेठ, (मंत्री)--(1) अध्यक्ष महोदय। उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) स्ट्रीट लाइट है लेकिन कम है।

(3) भागलपुर जिला अन्तर्गत बरारी में स्थित बिहार इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी के वृहत औद्योगिक प्रांगण में स्ट्रीट लाइट लगाने की निविदा दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित कर दी गयी है।

श्री अजीत शर्मा--महोदय, मैं मंत्री महोदय को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रश्न के बाद उन्होंने संज्ञान में लेने का काम किया है। लाइट वे लगायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि निविदा को कबतक फाइनल करेंगे और यह काम कबतक कम्पलीट करायेंगे ?

अध्यक्ष--माननीय मंत्री उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ (मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, निविदा निकाल चुकी है, इसी वित्तीय वर्ष में काम को पूरा हो जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 2729-वि०स०, पटना, दिनांक 25 अप्रील, 2023 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2729, दिनांक 25 अप्रील, 2023 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 6331, दिनांक 02 नवम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 2771/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 483 (ऐ-09), दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री कुंदन कुमार, स०वि०स०।

प्रश्न--(1) बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखंड अन्तर्गत लोहियानगर में अंडी रेशम फार्म है जिसमें बड़े पैमाने पर अंडी की खेती के साथ बसही, गोपालपुर बरियारपुर, खोदावंदपुर एवं सकरौली के लगभग 11 रेशम पालक इस फार्म से जुड़े हुये हैं, परन्तु फार्म में अधिकारियों एवं सुविधाओं के अभाव में फार्म बंद होने के कगार पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तसर विकास योजना के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है, परंतु बेगूसराय में रेशम उद्योग पर अपेक्षित ध्यान नहीं देने के कारण आज 1100 अंडी रेशम के कृषक रोजगार से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त फर्म को सुविधाओं से लैस कर पुनर्जीवित करते हुये पदाधिकारियों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । इन अंडी बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ष 2022-2023 में माह नवम्बर, 2022 तक 225 एकड़ में 270 कृषकों द्वारा 58600 अंडी रोग मुक्त चकत्तों का उत्पादन किया गया एवं 57900 स्थानीय कृषकों को वितरण किया गया है, जिससे 1860 कि०ग्रा० अंडी कोए का उत्पादन किया गया।

फार्म बंद होने के कगार पर नहीं है।

(2) अस्वीकारात्मक। बेगूसराय में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार प्रयासरत हैं । इसके विकास के लिये सरकार द्वारा राशि रु० 113.76 लाख आवंटित की गयी थी। फार्म में केन्द्रीय रेशम बोर्ड, जोरहाट, आसाम द्वारा अंडी कृषकों को अंडी कीटपालन के नयी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।

उक्त फार्म को सुविधाओं से लैस करने के लिये राशि रु० 5.00 करोड़ की लागत से आयडा, बिहार, पटना द्वारा प्रशासनिक भवन, बीजागार भवन एवं कीटपालन गृह का निर्माण कराया गया है। इसके नियंत्रण पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) मुजफ्फरपुर हैं। उनके द्वारा योजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

(ज्ञाप संख्या 2771-वि०स०, पटना, दिनांक 25 अप्रील, 2023 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2771, दिनांक 25 अप्रील, 2023 के द्वारा उद्योग विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था। उद्योग विभाग ने अपने पत्रांक 3829, दिनांक 28 जून, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XVII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को हुयी बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

श्री भोला सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त सरकारी आश्वासन सं० 130/2008 के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासन

जो जमीन अर्जित की जानी थी उसका आधार निबंधन कार्यालय में जो जमीन निबंधित की गयी थी वह नहीं थी, न बाजार रेट था, न जमीन रजिस्ट्री हुयी। निबंधन कार्यालय से उस समय में तत्कालीन सरकार ने उस मामले में मनमाने ढ़ंग से किसानों का बाध्य किया और मनमाने रेट पर किसानों ने प्रतिरोध किया, वे गये हैं हाईकोर्ट, हाइकोर्ट में सरकार एपीयर नहीं हो रही है, क्या यह बात सही है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

उल्लेखनीय है कि भू-अर्जन अधिनियम के तहत जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा समाहर्ता के निदेशानुसार भू-अर्जन की कार्रवाई की जाती है। संबंधित जिलों के समाहर्ताओं के द्वारा ही अर्जन की जाने वाली भूमि के भू-मुआवजा राशि की गणना करते हुये राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है, जिसके उपरांत उन्हें सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है। उपरोक्त के आलोक में सूचित करना है कि किसानों से अर्जन की जाने वाली भूमि के दर से संबंधित प्राक्कलन की स्वीकृति निदेशक भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की जाती है। जिनके आधार पर मुआवजा का भुगतान संबंधित किसानों/भू-धारियों को समाहर्ता द्वारा नियमानुसार किया जाता है।

परिशिष्ट-II

श्री भगवान सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त सरकारी आश्वासन सं० 198/2008 के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासन

181 एकड़ जमीन का कहीं भी पैसा जमा नहीं हुआ है, जब इस तरह का मामला है तो किसी वरीय पदाधिकारी से जाँच कराने के संबंध में ।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

औद्योगिक क्षेत्र, बिहियाँ की स्थापना हेतु वर्ष 1986 से 1992 तक कुल 258.48 एकड़ भूमि का अधिग्रहण (बिहियाँ अंचल एवं दावा जगदीशपुर अंचल) किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र, बिहियाँ के स्थापना के उपरान्त बियाडा द्वारा बिहियाँ में कई इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जो कार्यरत हो चुकी है।

जिला पदाधिकारी-सह-समाहर्ता, भोजपुर, आरा ने अपने पत्रांक 120, दिनांक 01 अप्रील, 2008 जो प्रबंध निदेशक, बियाडा को संबोधित है, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहियाँ की स्थापना हेतु मौजा-दावाँ, प्रखण्ड-जगदीशपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु भू०-अर्जन अभिलेख सं० 22/05 द्वारा वर्ष 1989-90 में 181.84 एकड़ भूमि को अधिग्रहित की गयी थी। पंचाटियों के विरोध के कारण उक्त अधिग्रहित संबंधित मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं हो सका। फलतः राशि राजस्व कोष में दिनांक 27 अगस्त, 2002 को जमा कर दी गयी।

परिशिष्ट-III

पत्रांक 5/स० आश्वासन(वि०स०)-40/2021-2491

प्रेषक

उप-सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 जुलाई, 2021 (ई०)।

विषय--श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, माननीय सदस्य विधान सभा एवं अन्य स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 931/10 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा सचिवालय, राजकीय आश्वासन समिति के पत्रांक 931, दिनांक 10 सितम्बर, 2010 द्वारा श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, माननीय स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 21 जुलाई, 2010 को सरकारी वक्तव्य पर आश्वासन सं०931/10 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। विषयांकित मामला किशनगंज जिले में चाय की खेती को ध्यान में रखते हुये चाय उत्पादक कृषक को प्रोत्साहन करने हेतु प्रदेश में चाय नीति की घोषणा करने से संबंधित है।

इस संदर्भ में सूचित करना है कि उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 1822, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 एवं संशोधन ज्ञापांक 883, दिनांक 29 जून, 2020 द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अधिसूचित है, जिसकी अवधि दिनांक 31 मई, 2025 तक प्रभावी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चाय प्रसंस्करण के आधुनिक इकाइयाँ स्थापित की जाती है तो उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आश्वासन सं० 931/10 को बिहार विधान सभा की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
उप-सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-IV

श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० 1900(ऐ-8) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन का क्रम सं० 814/11 का प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासन

समस्तीपुर जिला के सभी खादी ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करने के संबंध में ।

सरकार का वक्तव्य

समस्तीपुर अनुमण्डलीय खादी ग्रामोद्योग समिति पुसा रोड, समस्तीपुर सोसाईटी ऐक्ट 21-1860 के अन्तर्गत निबंधित है तथा भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग से निबंधित एवं वित्त पोषित समिति है। बिहार सरकार की खादी पुनरूद्धार योजना जो बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित है। इसके तहत समिति को 46 नग न्यू मॉडल चरखा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान पर दिया गया है तथा चरखा एवं लूम भी 90 प्रतिशत के अनुदान पर दिया जाता है। खादी बोर्ड द्वारा संस्था को खादी के कार्य करने के लिये 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में भी दिया जा रहा है।

परिशिष्ट-V

श्री उमाकान्त यादव, स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० 2560(ऐ-24) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन का क्रम सं० 948/12 का प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासन

मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड स्थित बाजार में खादी भंडार भवन के परिसर का चहारदीवारी का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकार का वक्तव्य

मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड में स्थित खादी भंडार भवन का परिसर बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नहीं है। राज्य सरकार/बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अपने चिन्हित भू-भाग पर ही चहारदीवारी निर्माण का कार्य करती है। अत: मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड स्थित खादी भंडार भवन के परिसर के चहारदीवारी का निर्माण बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के द्वारा नहीं किया जा सकता है।

परिशिष्ट-VI

षोडश विधान सभा के चतुर्थ सत्र में दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को सदन में श्री मुंद्रिका सिंह यादव, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 1(ऐ-1) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1402/16 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

सरकारी आश्वासन

श्री जय कुमार सिंह, (मंत्री)—कारखाने के भवन एवं जमीन लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा के बिन्दु पर जाँच हेतु जिलाधिकारी, जहानाबाद के विभागीय पत्र 6267, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 अनुरोध किया गया है।

जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्रश्नगत कारखाने का भवन एवं जमीन का लोगों के अवैध कब्जा के बिन्दु पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

माननीय स०वि०स०, श्री मुन्द्रिका सिंह यादव, द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को पुछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०ऐ-01 के क्रम में बन्द कारखाने के भवन एवं जमीन पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के बिन्दु पर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से विभागीय पत्रांक 6217, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 से अनुरोध किया गया था तथा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने का वक्तव्य सरकार द्वारा दिया गया था।

इस संदर्भ में समाहर्ता, जहानाबाद द्वारा अपने पत्रांक 325, दिनांक 08 मार्च, 2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अंचलाधिकारी, जहानाबाद एवं क्षेत्रीय प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र (बियाडा), जहानाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सूचित किया गया कि बिहार राज्य चर्मोद्योग निगम, जहानाबाद की बंद इकाइयों के भवन एवं कारखाना पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।

समाहर्ता, जहानाबाद से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उद्योग विभाग के स्तर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अतएव उपर्युक्त आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये उद्योग विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

परिशिष्ट-VII

मानीय श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 1253 (ऐ०-08), दिनांक 08 मार्च, 2021 से उद्‌भूत आश्वासन संख्या 558/21

प्रश्न--(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखण्ड अन्तर्गत जोंकी गाँव में उद्योग विभाग की 22 एकड़ जमीन में रेशम उद्योग का कार्य पूर्व में संचालित हो रहा था ;

(2) वर्तमान में उद्योग बंद होने के कारण उक्त भूमि पूरी तरह खाली पड़ी हुयी है तथा वहां के मजदूर बेरोजगार होने से उनकी माली हालत खराब हो गयी है ;

(3) रेशम उद्योग की खाली जमीन पर कोई अन्य उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । इस कार्य में मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत था। जो बरसात के दिनों में जलप्लावित रहने के कारण एवं मलवरी खेती के अनुकूल नहीं रहने के कारण राज्यादेश संख्या 1095, दिनांक 24 मार्च, 2006 के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय लोग रेशम उद्योग को छोड़कर कृषि/पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाये हुये हैं। मजदूर के बेरोजगार होने से उनकी माली हालत खराब होने की कोई सूचना विभाग को नहीं है।

(3) इस स्थान पर रेशम उद्योग प्रारंभ करने हेतु 17.29 एकड़ में तसर पौधारोपण किया गया है। तत्पश्चात् पौधा तैयार हो जाने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा तसर कीटपालन कर रेशम उत्पादन प्रारंभ की जायेगी।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

तसर विकास योजना अन्तर्गत तसर रेशम कीटपालकों को तसर रेशम कीट खाद्य-पौधारोपण, कीटपालन उपस्कर, विसंक्रामक की आपूर्ति, रेशम खाद्य-पौधों का रख-रखाव एवं सुरक्षा हेतु ट्रेन्च में निर्माण के साथ-साथ प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

जोंकी, मधुबनी के फार्म परिसर में 17.29 एकड़ में मुख्यमंत्री तसर विकास योजना अंतर्गत आसन/अर्जून का पौधारोपण वन विभाग द्वारा कराया गया है। ज्ञातव्य है कि रेशम प्रक्षेत्र के चार केन्द्रों में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा रेशम केन्द्रों/फार्मों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुये केन्द्र/फार्म परिसर में रेशम उत्पादन कार्य किया जाना है। रेशम उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व चयनित स्वयं सहायता समूह के साथ एकरारनामा किया जायेगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो ।

तसर रेशम कीटपालन कार्य के इच्छुक कृषकों को तसर कीट खाद्य-पौधों के रख-रखाव एकरारनामा अनुरूप कीटपालन उपस्कर एवं कीटपालन से संबंधित प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है।

1. लाभुक चयन स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा गठित (10 व्यक्तियों) का स्वयं सहायता समूह द्वारा फार्म में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपित तसर कीट खाद्य-पौधे आसन/अर्जुन पर कीटपालन किया जायेगा।

2. समूह के सदस्यों द्वारा तसर कीट खाद्य-पौधों का रख-रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी।

3. कीटपालन उपस्कर चयनित समूह को कार्यालय द्वारा आपूरित कीटपालन उपस्करों का उपयोग करते हुये कीटपालन कार्य सुनिश्चित द्वारा जायेगा।

एकरारनामा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जायेगा कि चयनित समूह के सदस्यों द्वारा केन्द्र में उपलब्ध संसाधनों को बगैर नुकसान पहुँचाये कीटपालन कार्य करेंगे।

कीटपालन कार्य संतोषप्रद रहने पर समूह के साथ अगले 11 माह का एकरारनामा किया जायेगा। साथ ही कार्य से संबंधित अंतिम निर्णय विभाग का होगा, निम्नलिखित मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करना होगा।

1. **लाभुक चयन**--स्थानीय लोग जो तसर कीटपालन के इच्छुक होंगे। उनका एक स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाया जायेगा, जिसका संचालन समूह द्वारा किया जायेगा। इस समूह के द्वारा सामूहिक रूप से फार्म में पौधारोपित आसन/अर्जुन पौधों पर तसर कीटपालन किया जायेगा। कीटपालन से कोए का उत्पादन केन्द्र से प्राप्त आय समूह की होगी एवं लाभांश के रूप में समूह के सदस्यों के बीच वितरित किया जायेगा।

2. **प्रशिक्षण**--समूह के सभी सदस्यों को तसर कीटपालन का 15 (पन्द्रह) दिन सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। समूह के चयनित सदस्यों को विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।

3. **कीटपालन कार्य**--तसर खाद्य-पौधों का रख-रखाव, कीटपालन एवं कोए का विपणन का कार्य स्वयं सहायता समूह (SHG) के द्वारा किया जायेगा। केन्द्र में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी स्वयं सहायता समूह (SHG) के द्वारा किया जायेगा। केन्द्र में कीटपालन अविष्टों से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करते हुये उसका उपयोग किया जायेगा। ताकि कीटों को पौष्टिक पत्तों की प्राप्ति हो सके।

ऊपर वर्णित सभी कार्यक्रम महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी की देख-रेख एवं मांग अनुरूप राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्य प्रगति का मासिक प्रतिवेदन निश्चित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

परिशिष्ट-VIII

श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के तारांकित प्रश्न सं० 1294 (ए-33) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 569/21 का उत्तर।

सरकारी आश्वासन

क्या यह बात सही है कि कटिहार एवं पूर्णियाँ जिलान्तर्गत एन०जे०एम०सी० की इकाई कांटी, कूट फैक्ट्री तथा दो फ्लॉवर मिल वर्ष 2016 से बंद होने के कारण पाँच हजार कामगार बेरोजगार हो गये हैं ?

क्या यह बात सही है कि जूट मिल बंद होने से किसानों की खेती पर सीधा असर पड़ा है। जिसके कारण करीब 1200 कामगार अन्य राज्यों में पलायन करने हेतु मजबूर हैं साथ ही उक्त मील की करोड़ों की मशीन एवं अन्य उपकरण खराब हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जूट मिल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

कटिहार जिला स्थित बंद आर०बी०एच०एम० जूट मिल, भारत सरकार का उपक्रम है जो एन०जे०एम०सी० के अधीन है। यह मिल वर्ष 2016 से बंद है।

आर०बी०एच०एम० जूट मिल के अतिरिक्त सर्वश्री विश्वनाथ पेपर मिल, गढ़बनैली पूर्णियाँ, कांटी फैक्ट्री, नेवालाल चौक पूर्णियाँ, सर्वश्री जलोका फ्लॉवर मिल, कटिहार एवं सर्वश्री यमुना फ्लॉवर मिल, कालीबाड़ी, कटिहार भी बंद है।

कटिहार जिला स्थित बंद आर०बी०एच०एम० जूट मिल, भारत सरकार का उपक्रम है। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007, 2009 एवं 2011 (तीन चरणों में) सभी कामगारों, स्टाफ, दरवान एवं पदाधिकारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

उद्योग विभाग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बंद निजी उद्योगों को कार्यरत करने का प्रावधान नहीं है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्वासित करने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रासंगिक आश्वासन से संबंधित रुग्ण इकाई को पुनर्वासित करने हेतु कोई प्रस्ताव उद्योग विभाग को प्राप्त नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये उद्योग विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

परिशिष्ट-IX

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2022 को पूछा जाने वाला आश्वासन संख्या 10/2022 से संबंधित उत्तर सामग्री ।

सरकारी आश्वासन

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के जोंकि ग्राम में बंद पड़े मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की 22 एकड़ भू-खण्ड पर अन्य कृषि आधारित उद्योग की संभावना तलाशने एवं इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी की अध्यक्षता में सहायक उद्योग निदेशक (रे०), मुजफ्फरपुर एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के पदाधिकारी की एक समिति दिनांक 18 मार्च, 2013 को गठित की गयी थी जिसे एक माह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई करनी थी, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर इथेनॉल उत्पादन या अन्य कृषि आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के जोंकि ग्राम में बंद पड़े मलवरी प्रसार-सह-प्रशिक्षण केन्द्र के 17.29 एकड़ भू-खण्ड पर तसर कीटपालन कार्य हेतु तसर रेशम कीट खाद्य-पौधे, आसन/अर्जुन का पौधारोपण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया है। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा पौधारोपित पौधों पर माह जुलाई, अगस्त माह में कीटपालन कार्य प्रारंभ किया जाना है। कीटपालन कार्य हेतु तसर रेशम कीटबीज की मांग बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भागलपुर से मांग की गयी है।

उक्त केन्द्र में तसर रेशम उत्पादन से संबंधित गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में रिक्त स्थानों पर नये पौधारोपण एवं कीटपालन उपस्कर आदि की सहायता प्रदान किये जाने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। तसर रेशम उत्पादन से संबंधित तकनीकी जानकारी कीटपालकों को उपलब्ध कराये जाने के क्रम में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा एक परियोजना पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये उद्योग विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

परिशिष्ट-X

पत्रांक 6(स०) विधान सभा (तारांकित)-06/2022-2624

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

प्रेषक

श्री आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20 जून, 2022 (ई०)।

विषय--श्री हरि भूषण ठाकुर 'बचोल', स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 651 (ऐ-16) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 371/22 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में उद्योग विभाग के पत्रांक 744, दिनांक 28 फरवरी, 2022 के द्वारा उत्तर प्रतिवेदन प्रेषित की गयी है। प्रासंगिक विषय में विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा ऐसी कोई आश्वासन नहीं दी गयी है कि जिसे ससमय सीमा के अन्दर पूरी की जानी थी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले में पूर्व में विभाग के द्वारा दी गयी उत्तर के आलोक में तारांकित प्रश्न संख्या 651(ऐ-16) पर सन्निहित आश्वासन संख्या 371/22 को आश्वासन से मुक्त करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XI

सरकारी आश्वासन

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 690 (ऐ-25) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 390/2022 के संबंध में ।

सरकार का वक्तव्य

औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद कुल 06 एकड़ में विस्तृत है। औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद में कुल 14 इकाइयों को बियाडा द्वारा भूमि आवंटित की गयी है। जिनमें 05 इकाइयाँ कार्यरत हैं एवं 05 इकाइयों को बंद रहने के कारण बियाडा द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।

वर्तमान में बियाडा के औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद में आवंटन योग्य 0.80 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इच्छुक उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बियाडा द्वारा नियमानुसार भू-आवंटन की कार्रवाई की जाती है।

परिशिष्ट-XII

पत्रांक 06(स०) विधान सभा (तारांकित)-08/2622

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

प्रेषक

आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20 जून, 2022 (ई०)।

विषय--श्री प्रणव कुमार, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 717 (ऐ-23) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 400/22 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में उद्योग विभाग के पत्रांक 862, दिनांक 04 मार्च, 2022 के द्वारा उत्तर प्रतिवेदन प्रेषित की गयी है। प्रासंगिक विषय में विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा ऐसी कोई आश्वासन नहीं दी गयी है कि जिसे ससमय सीमा के अन्दर पूरी की जानी थी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले में पूर्व में विभाग के द्वारा दी गयी उत्तर के आलोक में तारांकित प्रश्न संख्या 717(ऐ-23) पर सन्निहित आश्वासन संख्या 400/22 को आश्वासन से मुक्त करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक-यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन,
आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XIII

पत्रांक 06(स०) विधान सभा (तारांकित)-11/2022-2623

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

प्रेषक

आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20 जून, 2022(ई०)।

विषय--श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 730 (ऐ-28) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 405/22 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में उद्योग विभाग के पत्रांक 864, दिनांक 04 मार्च, 2022 के द्वारा उत्तर प्रतिवेदन प्रेषित की गयी है। प्रासंगिक विषय में विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा ऐसी कोई आश्वासन नहीं दी गयी है कि जिसे ससमय सीमा के अन्दर पूरी की जानी थी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले में पूर्व में विभाग के द्वारा दी गयी उत्तर के आलोक में तारांकित प्रश्न संख्या 730(ऐ-28) पर सन्निहित आश्वासन संख्या 405/22 को आश्वासन से मुक्त करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XIV

आश्वासन सं० 1662/22

प्रसंग एवं विषय

श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० के गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 29 मार्च, 2022 को सरकारी वक्तव्य में निहित आश्वासन ।

विषय—यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में बड़े पैमाने पर रेडिमेड वस्त्र एवं गंजी बनाने के छोटे-छोटे कारखाने के विकास का कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार इस उद्योग के विकास के लिये एक टेक्सटाईल नीति बनावें।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

, नई टेक्सटाईल एवं लेदर नीति कैबिनेट से अनुमोदित की जा चुकी है, इसे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक 08 जून, 2022 को अधिवेशन भवन में लाँच किया गया ।

परिशिष्ट-XV

आश्वासन संख्या 2310/2022

गैर-सरकारी संकल्प पर सरकारी वक्तव्य में सन्निहित आश्वासन सं०-2310/22

प्रश्नकर्ता--श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय स०वि०स०।

विषय--पूर्णियाँ जिला में बनमनखी में प्रखंड में बंद चीनी मिल के जमीन पर उद्योग लगाने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखण्ड में बंद चीनी मिल पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से चहारदीवारी, गेट, गार्ड रूम निर्माण के लिये हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका टेंडर हो गया है, प्रशानिक स्वीकृति हो रही है, 5 करोड़ 50 लाख 60 हजार की लागत से उसकी बाउण्ड्री करने जा रहे हैं और इसका निष्पादन जल्द होने जा रहा है तथा वहां बहुत सारे उद्योग भी लगने जा रहे हैं।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

सरकार द्वारा अपने स्तर पर किसी प्रकार के उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है। नये उद्योगों की स्थापना के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन बियाडा द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृति प्राप्त इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के तहत सहायता प्रदान की जाती है। पूर्णियाँ के बनमनखी प्रखण्ड की उक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की जा चुकी है।

परिशिष्ट-XVI

श्री अजीत शर्मा, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त आश्वासन संख्या 2729/2022 का उत्तर प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासन

भागलपुर जिलान्तर्गत बरारी में स्थित बिहार इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी के वृहत औद्योगिक प्रांगण में स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु निविदा निकल चुकी है, इसी वित्तीय वर्ष में कार्य भी पूरा हो जायेगा।

उत्तर

भागलपुर जिलान्तर्गत बरारी में स्थित बिहार इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी के वृहत औद्योगिक प्रांगण में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिस्थापन का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसकी कुल संख्या 208 (दो सौ आठ) है। सभी सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यरत हैं।

परिशिष्ट-XVII

माननीय श्री कुंदन कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 483 (ऐ०-09), दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 से उद्भूत आश्वासन संख्या 2771/22 ।

प्रश्न--(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखंड अन्तर्गत लोहियानगर में अंडी रेशम फार्म है जिसमें बड़े पैमाने पर अंडी की खेती के साथ बसही, गोपालपुर, बरियारपुर, खोदावंदपुर एवं सकरौली के लगभग 11 रेशम पालक इस फार्म से जुड़े हुये हैं ;

परन्तु फार्म में अधिकारियों एवं सुविधाओं के अभाव में फार्म बंद होने के कगार पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तसर विकास योजना के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है, परंतु बेगूसराय में रेशम उद्योग पर अपेक्षित ध्यान नहीं देने के कारण आज 1100 अंडी रेशम के कृषक रोजगार से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त फर्म को सुविधाओं से लैस कर पुनर्जीवित करते हुये पदाधिकारियों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

(1) इन अंडी बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ष 2022-2023 में माह नवम्बर, 2022 तक 225 एकड़ में 270 कृषकों द्वारा 58600 अंडी रोग मुक्त चकत्तों का उत्पादन किया गया एवं 57900 स्थानीय कृषकों को वितरण किया गया है, जिससे 1860 कि०ग्रा० अंडी कोए का उत्पादन किया गया।

(2) बेगूसराय में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार प्रयासरत है। इसके विकास के लिये सरकार द्वारा राशि रु० 113.76 लाख आंवटित की गयी थी। फार्म में केन्द्रीय रेशम बोर्ड, जोरहाट, आसाम द्वारा अंडी कृषकों को अंडी कीटपालन के नयी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।

(3) उक्त फार्म को सुविधाओं से लैस करने के लिये राशि रु० 5.00 करोड़ की लागत से आयडा, बिहार, पटना द्वारा प्रशासनिक भवन, बीजागार भवन एवं कीटपालन गृह का निर्माण कराया गया है। इसके नियंत्रण पदाधिकारी सहायक उद्योग, निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर है। उनके द्वारा योजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन

अंडी रेशम विकास योजनान्तर्गत अंडी रेशम कीटपालकों को अंडी रेशम कीट खाद्य-पौधारोपण, कीटपालन उपस्कर, रेशम खाद्य-पौधों का रख-रखाव एवं कीटपालन गृह सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। बेगूसराय स्थित अंडी फार्म का कुल रकबा 5 एकड़ है जिसमें 4 एकड़ में अंडी पौधारोपण है और पौधारोपण से अंडी रेशम कीटपालन, करते हुये बीजागार का कार्य किया जा रहा है। शेष बचे 1 एकड़ में प्रशासनिक भवन, बीजागार भवन एवं कीटपालन गृह का निर्माण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सिल्क समग्र योजनान्तर्गत अंडी रेशम विकास योजना में कुल 235 लाभुकों को अंडी रेशम कीट खाद्य-पौधारोपण, कीटपालन उपस्कर, रेशम खाद्य-पौधों का रख-रखाव एवं कीटपालन गृह सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण देते हुये योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आश्वासन संख्या 2771/22 को कार्यान्वित मानते हुये लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

वि०स०मु० 68 (एल०ए०) 2025-26 डी०टी०पी० -- 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026